IV 155 281

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 369000

प्रभासु संस्थान

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक– 20.03.2013 को रोहित प्रताप पाल पुत्र श्री सुभाष चन्द पाल निवासी मोहल्ला रासमण्डल, पोस्ट सदर, तहसील सदर जिला जौनपुर द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रू0 5000/– (पॉच हजार रूपये) की राशि है। जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे–प्राविधिक, उच्च चिकित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/– (पॉच हजार रूपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मोहल्ला रासमण्डल, पोस्ट–सदर, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर उ0प्र0 में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है।

प्रभासु संस्थान (इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली:–

ट्रस्ट के उद्देश्य–

ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा–

Rohit

12648 20-8-13 100

[illegible] राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय [illegible] — [illegible]

रासमण्डउवा जौनपुर

उप/सहायक [illegible]

के हस्ताक्षर

कोषागार-[illegible]

[illegible] कोषाधिकारी

21 JUL 2013

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(भारत चन्द्र उपाध्याय)
पुष्प रोकड़िया
कोषागार-बोनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 373621

1– बिना लिंग भेद किए हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथलयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उपचार केन्द्रो की स्थापना, नामकरण, विकास समबद्ध आवद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आवद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत कराना।

2– अल्प संख्यक हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी०एड, एम०एड, बी०टी०सी० बी०पी०एड०, संस्थानों का संचालन कराना।

3– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।

4– कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।

5– उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।

6–महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

7– प्रतियोगात्मक परिक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

8– कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयो की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9– किसी भी सामान (तरल एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री करना।

10– पत्थर के खनन का कार्य कराकर भूमि का उपजाऊ योग्य बनाना।

11– ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराक भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगों को बीमा से लाभान्वित करना।

12– उपहार के बस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कार्य कराना।

13– कबाड़ा की सामानों को इकट्ठा करके फर्निस भट्ठियां का निर्माण करके उनकों गलाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना पर्यावरण की सुरक्षा करना ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य हैं।

14– केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेल–कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यों का संचालन करना।

Rohit

12649 20-8-13 स्टाम्प क्रमांक 109
श्री/श्रीमती/कु0 ... 521 पुत्र/पत्नी/पुत्री 848
निवासी ... परगना ... तहसील ... जिला

उप/... कोषाधिकारी
के हस्ताक्षर
कोषागार-जौनपुर

SENIOR TREASURY OFFICE
14 AUG 2013
JAUNPUR

शुल्क पत्र

5000.00	100.00	20	120.00	800
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

आज की तिथि
श्री रोहित प्रताप पाल
पुत्र श्री सुभाष चन्द पाल
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी रासमण्डल परगना हवेली तहसील सदर जिला जौनपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/8/2013 समय 1:48PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

Rohit

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम अकबाल सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
22/8/2013

इन्दु प्रकाश सिं...
नि0 ...

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
प्राप्त

श्री रोहित प्रताप पाल
पुत्र श्री सुभाष चन्द पाल
पेशा कृषि
निवासी रासमण्डल पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

Rohit

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री सत्यप्रकाश पाल
पुत्र श्री राजनाथ पाल
पेशा वकालत
निवासी आदिपुर पर0 खरी तह0 सदर जि0 जौनपुर
व श्री राजदीप पाल
पुत्र श्री रामदुलारे पाल
पेशा कृषि
निवासी मुरादगंज पर0 बयालसी तह0 सदर जि0 जौनपुर

राजदीप

ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम अकबाल सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
22/8/2013

इन्दु प्रकाश
नि0

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 373622

15– आई.टी.आई., आई.आई.टी., पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग, प्रबन्धन फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेटर टेक्नीशियन, लैब, टेक्नीशियन, फिजियों थरेपी आदि मेडिकल कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना।

16– समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होग, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।

17– पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

18– अन्धें, गुगें, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना व विद्यालय संचालित करना व उनके पुनर्वास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।

19– विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, कीड़ा, मार्सल आर्ट, संगीत, तकनीकी सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर, प्रोफेसनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

20– विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्रा/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

21– साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना।

22– सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यकम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकों, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।

23– भण्डार गृहों का निर्माण कर अनाजों, फलों का भण्डारण कराना तथा उनका क्रय विक्रय कराना।

24– शीत गृहों का निर्माण कर किसानों के फल सब्जी, आलू, प्याज की सुरक्षा प्रदान कराना।

25– किसानों को खतरा, खतौनी इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना।

26– बैंकिंग का कार्य कराना, लोगों का पैसा जमा कराकर उनको अच्छा रीटर्न देना, उनके पैसों कों सुरक्षा प्रदान करना, समय–समय पर गृह ऋण, मोटर गाड़ी हेतु ऋण एवं रोजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

27– सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्कीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कराना।

Rohit

क्रमांक 12650 दिनांक 20-8-13 स्टाम्प मूल्य 1001

श्री/श्रीमती/कु० [illegible] पुत्र/पत्नी/पुत्री 2648

निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

उप/सहायक कोषाधिकारी

[illegible]

[illegible]-जौनपुर

SENIOR TREASURY OFFICER

14 AUG 2013

JAUNPUR

न्यासी

[illegible] No. [illegible] Year [illegible] Book No. 4

0101 रोहित प्रताप पाल

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 373623

28– व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेज, आई.टी.आई. कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा सुचालित करना उनकों इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

29– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

30– विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

31– आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।

32– पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना।

33– एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना।

34– ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।

35– पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।

36– उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्वों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

37– डाक्टर, इंजिनियर, कारपेन्टर, सेंन्ट्रिंग कारपेन्टर, मेसन, बढ़ई, नाई, मोची, कुकर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य करना, जिससे उनकों रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो सके।

38– कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें।

39– किसानों का उन्नतशील बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा नये–नये औजारों को सस्ते दरों में उपलब्ध कराना।

40– समय–समय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कर उनकों जागरूक करना।

41– किसानों को रासायनिक खादों (डाई, युरिया, पोटास, जिंक फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद) इत्यादि को समय–समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित करना।

Rohit

1265 20.8.13 100

12648

SENIOR TREASURY OFFICER

14 AUG 2013

JAL PUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य रोकड़िया कोषागार-बीनपुर

BU 373624

42– धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्धार कर सकना।

43– जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यकमों का आयोजन एवं कियान्वयन कर सकना।

44– विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वितीय सहायक, समृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

45– ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासंभव अपनी उत्पादित वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडन्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि प्रचार–प्रसार करेगा।

46– ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को कियान्वयन करेगा।

47– ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।

48– सस्ते दरों पर लोगों को सब्जी तथा फल उपलब्ध कराना।

49– लोगों को दोपहिया, चारपहिया एवं हैवी वाहन अपनी एजेंसी के माध्यम से सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना जिससे कम लागत पर लोगों को वाहन उपलब्ध हो सके।

50– विभिन्न संस्थानों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजिनियरिंग कालेजों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना एवं संचालित करना।

2. प्रारम्भिक उपलब्ध:–

1– वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से रोहित प्रताप पाल पुत्र सुभाष चन्द्र पाल को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

2– यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष रोहित प्रताप पाल पुत्र सुभाष चन्द्र पाल द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो वरिष्ठता कम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।

3– वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल मे ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण:–

1– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

Rohit [redacted]

12652 20-8-13 100

12648

SENIOR TREASUARY OFFICER

14 AUG 2013

JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 373625

2– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3– किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किए गये हो।

4– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल में उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

5– कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जाएगा।

4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज:–

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 21 सदस्य होगी।

2– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल नष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यअवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्ष ट्रस्टी स्वयं करेगा।

4– यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

5– यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किए गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

Rohit

12653 दिनांक 20-8-13 109

12648

उप/सहायक [illegible]
के हस्ताक्षर
कोषागार-[illegible]

SENIOR TREASUARY OFFICE
14 AUG 2013

80

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 387121

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधाएः–

1– यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2– यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा आय से ही आयकार का भुगतान करेगा।

6. कार्य क्षेत्रः–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकारः–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है तथा ट्रस्टी चल अचल सम्पत्ति का क्रय व विक्रय कर सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्तिः–

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2– यह कि सचिव के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3– यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टीज/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

Rohit

12654 दिनांक 20-8-13 54
12648

27 JUL 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 387122

9. सचिव की नियुक्ति:–
1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के
लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर
सकेगा।
2– यह कि उक्त सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये
जायेंगे।
3– यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग
ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक
विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पदों के अधिकार एवं कर्तव्य
किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:–
यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त
ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।
1– बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2– इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो
कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।
3– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सारे कार्यों की देख–रेख उपाध्यक्ष करेगा। आफिस विस्तार
के लिए अध्यक्ष और भी सचिव और उपसचिव नियुक्त कर सकता है।

11. बैंक एकाउन्ट:–
1– ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा
इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता
है तथा संचालित कर सकता है।
2– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान
केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोल या संचालित किया जा सकता है।

Rohit

12855 दिनांक 20-8-13 स्टाम्प क्र 59

श्री/श्रीमती/कु० स्टाम्प 12648

निवासी परगना

उप/सहायक रजिस्ट्रार
के हस्ताक्षर
कोषागार-जौनपुर

जिला कोषागार
27 JUL 2013
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AN 387123

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इस स्थिति मे स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वार दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

12. विधिक कार्यवाही:–

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

13. सम्पत्ति सम्बन्धी:–

1– ट्रस्ट चल–अचल सम्पत्ति के संबंध में वह सभी अधिकारी रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।

2– ट्रस्ट की ओर से चल अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई निर्णय लेने/लेख–विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3– ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अरग्रह भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है अथवा देख सकता है।

4– ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना के धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

5– चल एवं अचल सम्पत्तियों के विक्रय के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव में से दो लोगों का हस्ताक्षर एवं फोटों रहना जरूरी है।

6–वर्तमान मे ट्रस्ट के पास 5000/– (पाँच हजार रूपये) की पूजी हैं।

14. विशेष:–

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव तीनों मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते है। जोकि सर्वमान्य होगा। ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से कियान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में

Rohit

12656 20-8-13 50

12648

27 JUL 2013

जौनपुर

77

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

INDIA

सत्यमेव जयते

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 387124

जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये है। उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।

साक्षीगण:-

1. नाम- सत्य प्रकाश पाल एडवोकेट
   पिता का नाम- श्री राजनाथ पाल
   पता.- ग्राम अर्धपुर पो० सड़री पर० राही जौनपुर।
2. नाम- राजगीत पाल
   पिता का नाम- श्री राम कुमार त पाल
   पता.- भुलाकला पर० खपरहा जौनपुर

Rohit
(रोहित प्रताप पाल)
ट्रस्टी / अध्यक्ष
प्रभासु संस्थान

तकमील तहरीर

दिनांक:-20.08.2013

12657 दिनांक 20-8-13 स्टाम्प कीमत 50/-
श्री/श्रीमती/कु० ... से0 पुत्र/पत्नी/पुत्री 2648
निवासी ... परगना ... तहसील ... जिला
उप/सहायक रोकड़ के हस्ताक्षर
कोषागार-जौनपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
27 JUL 2013
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AN 387125

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Advocate 2018113 civilcourt Jaunpur

मसविदाकर्ता– सत्य प्रकाश पाल एडवोकेट

सिविल कोर्ट जौनपुर।

साजिद अली

टाइपकर्ता– साजिद अली, गीत स्टूडियो कलेक्ट्रेट जौनपुर।

Rohit

11

12658 दिनांक 20-8-13 501

2658

27 JUN 2013

2013

उप नियन्त्रक
जौनपुर